

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- श्रीगंगानगर में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा हनुमानगढ़ का चिकित्सा अधिकारी 1 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लौटाते (रिवर्स ट्रेप) गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 08 सितम्बर, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज श्रीगंगानगर में कार्यवाही करते हुये डॉ. रोहित चौधरी चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से 1 लाख 25 हजार रुपये की रिश्वत राशि वापस लौटाते (रिवर्स ट्रेप) गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके साथी के पक्ष में एम.एल.सी. रिपोर्ट तैयार करने एवं विपक्षी की चोटों को गंभीर नही बताने की एवज में डॉ. रोहित चौधरी चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवादी से 45 हजार रुपये नगद एवं 80 हजार रुपये जरिये फोन-पे रिश्वत राशि प्राप्त कर चुका है, परन्तु एम.एल.सी. रिपोर्ट सही नहीं बनाने से शिकायत होने का अंदेशा होने पर रिश्वत राशि वापस कर रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री संजय कुमार एवं पुलिस निरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह एवं उनकी टीमों द्वारा श्रीगंगानगर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए डॉ. रोहित चौधरी पुत्र श्री पृथ्वीराज निवासी 36 पीटीपी, मनवाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर हाल चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवादी को 80 हजार रुपये जरिये फोन-पे रिश्वत राशि लौटाते (रिवर्स ट्रेप) गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।